भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3073
जिसका उत्तर बुधवार 29 मार्च, 2017 को दिया जाना है

'फेम इंडिया स्कीम' के अंतर्गत वाहनों को सब्सिडी

3073. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 2 वर्षों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम) इंडिया स्कीम के अंतर्गत वाहनों को खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी दी गई और इसके तहत किन-किन वाहनों की खरीद हेतु सब्सिडी का इस्तेमाल हुआ और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या कम प्रदूषण करने वाले वाहनों पर सब्सिडी की अपेक्षाकृत ज्यादा रकम व्यय की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप यह अपने मूल उद्देश्य जिसके लिए योजना प्रारंभ की गई थी उससे भटक रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2015 से 28 फरवरी, 2017 तक प्रभावी फेम इंडिया स्कीम के तहत वाहनों की किस्मों तथा सहायता प्राप्त कुल वाहनों के साथ-साथ मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः-

वाहन की किस्म	**सहायता प्राप्त कुल वाहन**	**प्रोत्साहन की कुल राशि (प्रतिबद्ध + जारी की गई) (₹ में)**
परम्परागत बैट्री के साथ कम गति वाले 2 पहिया	33496	25,12,20,000
परम्परागत बैट्री के साथ तीव्र गति वाले 2 पहिया	1386	1,30,28,400
माइल्ड हाइब्रिड 4 पहिया वाहन	73633	95,72,29,000
उन्नत बैट्री के साथ कम गति वाले 2 पहिया	193	32,81,000
स्ट्रॉग हाइब्रिड 4 पहिया वाहन	1949	13,64,30,000
पूर्णतः इलेक्ट्रिक कार	1230	15,25,20,000
पूर्णतः इलेक्ट्रिक एल सी वी	10	18,70,000
सहायता प्राप्त कुल वाहन	111897	
प्राप्त दावों की कुल राशि		151,55,78,400
28/02/2017 की स्थिति के अनुसार जारी की गई कुल राशि		127,77,38,200

(ख) और (ग): फेम इंडिया स्कीम के तहत, मांग प्रोत्साहन राशि स्वामित्व की कुल लागत (टीसीयू) की मूल राशि, बचत के कारण चुकौती अवधि, रख-रखाव आदि की लागत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीएस) के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मांग प्रोत्साहन को दो स्लेबों - लेवल 1 तथा लेवल 2 में वर्गीकृत किया गया है ताकि ईंधन की अधिक बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों और वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके।

विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट : dhi.nic.in पर उपलब्ध सरकार की फेम इंडिया स्कीम के **अनुबंध 13** में उपलब्ध है।

*****